फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री भेरा **विपक्षी : श्री बाबु**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 89/14**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 09.02.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 2, 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। विपक्षी सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 2, 4 द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया। प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी व विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण उक्त भूमि पर निर्माण करने पर आमादा हैं। यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू भाग पर निर्माण कर लेता है तो इससे प्रकरण में बंटवाडा होने तक अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। प्रकरण में दिनांक 14.03.2016 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर किया जाता है कि मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 3842, 3846, 3847, 3854, 3855, 3856, 3857, 3865, 3884, 3885, 3914, 3946 किता 12 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 3825 रकबा 4 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 से 4 मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (उपेन्द्र कुमार शर्मा) सहायक कलक्टर (SDO) मावली Signature Not Verified Digitally signed by Upendra Kumar Sharma Date: 2024.02.15 10:24:48 IST Reason: SelfAttested	